

वकील प्राची एवं अश्विनी
 सरकारी मैरिजाल की बहस
 प्राची एवं सुनीता।
 प्रतापली वरुते निर्णय
 आदेश दिनांक 23-9-2019
 को पेश है।

[Signature]

उप खण्ड अधिकारी
 बिलाड़ा

23⁹
 2019

प्रतापली आदेश प्रस्तुत हुई।
 वकील प्राची व सरकारी
 मैरिजाल उपस्थित।

उस प्रस्ताव का निर्णय
 अलग से लिखवाया व सुनना
 प्रामाण्य शाखिल प्रतापली के
 न्यायालय गया।

आदेश निर्णय के अन्तर्गत
 दिनांक 23 से अमल होना शुरू
 करने हेतु निर्णय की प्रति
 तहसील एवं बिलाड़ा को लिखा
 प्रामाण्य प्रालम्भ मंगवायी
 जावे।

प्रतापली मैरिजाल सुनना
 व न्याया से एक होकर
 शाखिल वास्तव है।

निर्णय से इजलास
 सुनना गया।

[Signature]

(उप खण्ड अधिकारी)
 उप खण्ड अधिकारी
 बिलाड़ा